न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/134 **दायरा दिनांक : 05.09.2023**

उनवान

कालूलाल आत्मज नन्दा, जाति तेली, निवासी ग्राम ओसाव, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– श्री मांगीलाल आत्मज नन्दा, जाति तेली, निवासी ग्राम ओसाव, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड (राज0)

2– श्री रामगोपाल आत्मज नन्दा, जाति तेली, निवासी ग्राम ओसाव, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड (राज0)

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, पिडावा हाल तहसील सुनेल

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रमेश चन्द सोनी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कालू सिंह सिसोदिया अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 02.08.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 54/2018/राजस्व वाद निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम ओसाव के माल में पटवार हल्का ओसाव, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ में खाता संख्या नया 267 पुराना 235 खसरा नं. 216 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 372/1260 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 532 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 534 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा एवं ग्राम ओसाव के माल में पटवार हल्का ओसाव, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ में खाता संख्या नया 268 पुराना 236 खसरा नं. 230 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 231 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2023 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय, विधान व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पक्षकारों के खातों में अंकित हक, हिस्सों के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर उसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित की

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जानी चाहिए थी, जो नहीं कर त्रुटि की है। प्रारंभिक डिक्री की पालना में प्रस्ताव बंटवारा दो बार व गलत रूप से तैयार किया गया, प्रस्ताव बंटवारा नक्शा मौके पर नहीं बनाया गया। प्रस्ताव बंटवारा नक्शा पटवारी हल्का ने तहसील कार्यालय में ही बनाया, मौके पर ना तो तहसीलदार एवं ना ही पटवारी उपस्थित हुये, ना ही पक्षकारों के सामने बनाया, पटवारी ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के निर्देशानुसार प्रस्ताव बंटवारा, नक्शा तहसील कार्यालय में बनाया, प्रस्ताव बंटवारा पर मात्र वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व पटवारी के हस्ताक्षर हैं। तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री निरस्त की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.08.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को जारी अंतिम डिक्री की अपील की गई है। अपीलांट के अनुसार तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय राजस्व मण्डल बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई।

बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर नहीं बनाई गई, रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनाई गई है। उक्त बंटवारा रिपोर्ट के समय प्रतिवादीगण को मौके पर बुलाने के कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी बंटवारा रिपोर्ट से अंतिम डिक्री पारित करते समय केवल वादी को सुनने के ही साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण को बंटवारा रिपोर्ट के समय सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2023 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा